न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 11/2017 **दायरा दिनांक : 04.01.2017**

उनवान

जगन्नाथी जोजे/पत्नी स्वर्गीय श्री मोतीलाल सुमन, जाति माली, निवासी ग्राम मेरमाहचाह, तहसील अटरू हाल निवासी राजीव गांधी कालोनी वार्ड नम्बर 22 तेल फैक्ट्री बारां, तहसील बारां, जिला बारां (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–

1/1– छीतर लाल आयु 55 वर्ष पुत्र मोतीलाल सुमन, जाति माली, निवासी ग्राम मेरमाहचाह, तहसील अटरू हाल निवासी राजीव गांधी कालोनी वार्ड नम्बर 22 तेल फैक्ट्री बारां, तहसील बारां, जिला बारां

1/2– गीता बाई आयु 35 वर्ष पुत्री मोतीलाल सुमन पत्नी रमेश चन्द, जाति माली, निवासी ग्राम मेरमाहचाह, तहसील अटरू हाल निवासी राजीव गांधी कालोनी वार्ड नम्बर 22 तेल फैक्ट्री बारां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रामचरण पुत्र श्री अमरा, जाति माली, निवासी मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां

2– गिरधारी पुत्र अमरा, जाति माली, निवासी मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 17/2005 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2008 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून व न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का विवेचन नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम व माल मेरमाचाह, तहसील अटरू में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2036–39 के खाता संख्या 2 की खसरा नम्बर 77, 109, 110, 111, 112, 590, 591, 592, 593, 596, 698/744 कुल 13 किता कुल रकबा 24 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार अमरा पुत्र देवा व जगन्नाथी जोजे मोतीलाल, जाति माली के हिस्सा बांट बराबर दर्ज थी । इंतकाल नम्बर 289 खसरा नम्बर 77 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 112 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 113 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 122 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 590 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 593 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 596 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 698/744 रकबा 2 बिस्वा कुल 10 किता कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा खाता विभाजन कर अपीलांट के खाते दर्ज कर दी तथा शेष आराजी अमरा पुत्र देवा के खाते दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी । अपीलांट जगन्नाथी हिस्से की आराजी वर्णित

मद नम्बर 2 के नये खसरा नम्बर 315 रकबा 1.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 364 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 840 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.05 हेक्टर कुल 9 किता रकबा 1.77 हेक्टर कायम किये गये । इस प्रकार अपीलांट की खातेदारी की आराजी की आराजी को अपीलांट पृथक काश्त करली आ रही थी तथा रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 के पिता अमरा को प्रतिवर्ष उक्त आराजी को मुनाफा काश्त पर जुपाती थी लेकिन अमरा के स्वर्गवास होने के बाद रेस्पोडेंट के मन में बदयांति आ गयी तथा अपीलांट की आराजी को हड़पने के उद्देश्य से उसके काश्त करने में मदाखलत करने लगे जिसका रेस्पोडेंट को कोई हक व अधिकार नहीं है । विवादित आराजी अपीलांट जगन्नाथी की खातेदारी की आराजी है तथा अपीलांटा महिला होने के कारण रेस्पोडेंट ने जबरन ताकत के बल पर अवैधानिक तरीके से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लिया तथा आराजी को अपने नाम अवैधानिक तरीके से दर्ज करवाने पर आमादा है तथा विवादित आराजी रहन, बय, बन्धक व अन्यथा प्रकार से मुन्तकिल करने को आमादा है जिसका रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 04.03.2008 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.12.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि मान्य नहीं है खातेदारी अधिकार इस प्रकार खत्म किया जाना राजस्थान काश्तकारी कानून के विधि मान्य सिद्धांतों एवं धारा 46 की भावना के विपरीत है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2008 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा